रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233665
CG-DL-E-22022022-233665

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
No. 57] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2022

प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के अल्पावधिक (अर्थात् एक दिन से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रापण हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 23/27/2021-आर एंड आर.—प्रस्तावना

1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालन में केंद्र सरकार ने दिनांक 30 मार्च, 2016 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग।, खंड-1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/25/2011-आरएंडआर(खंड-III) के माध्यम से "प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के अल्पावधिक (अर्थात् एक दिन से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रापण हेतु संशोधित दिशानिर्देश" अधिसूचित किए थे।

2.0 इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों में एक संशोधन 30दिसम्बर, 2016 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ रिवर्स नीलामी प्रक्रिया में स्वत: विस्तार को कार्यान्वित करने और कुछ प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2017 से प्रभावी होने के लिए संशोधन अधिसूचित किए थे।

3.0 केंद्र सरकार एतद्द्वारा इस संशोधन की अधिसूचना से प्रभावी होने के लिए, खरीदार की सहमति के बिना बाजार में उत्पादकों द्वारा विद्युत की बिक्री के मुद्दे का समाधान करने के लिए उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 6.4 (vi) (च) के बाद एक नया खंड जोड़ा गया है:-

6.4 (vi) चयनित बोलीदाता के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित पीपीए में निम्नलिखित से संबंधित ब्यौरा शामिल होगा:

छ. **खरीदार की सहमति के बिना तीसरे पक्ष को अनुबंधित विद्युत की बिक्री पर प्रभाव**

- यदि विक्रेता अनुबंध के अनुसार खरीदार को अनुबंधित विद्युत प्रदान करने में विफल रहता है और इस विद्युत को खरीदार की सहमति के बिना किसी अन्य पक्ष को बेचता है, तो खरीदार को विक्रेता से :(क) अपुरूपी अनुबंधित विद्युत के लिए पीपीए के अनुसार टैरिफ का दोगुना; और (ख) इस अनुबंधित विद्युत की बिक्री के कारण तीसरे पक्ष से अर्जित संपूर्ण बिक्री राजस्व से अधिक राशि के बराबर क्षतियों का दावा करने का हक होगा। ये क्षतियां मौजूदा दिशा-निर्देशों के पैरा 6.4 (ङ) के अनुसार निर्धारित क्षमता की आपूर्ति न कर पाने पर परिसमाप्त क्षतियों के अतिरिक्त होंगी।
- खरीदार द्वारा संबंधित भार प्रेषण केंद्र में इस आशय की शिकायत पर, विक्रेता को शिकायत में चूक स्थापित होने से तीन महीने की अवधि के लिए पावर एक्सचेंजों में भाग लेने से और उस उत्पादन स्टेशन से किसी भी अल्पकालिक/मध्यकालिक/दीर्घकालिक अनुबंधों में इस विद्युत के शेड्यूलिंग से भी वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी चूक के लिए विवर्जन की अवधि बढ़कर छह महीने हो जाएगी और प्रत्येक आनुक्रमिक चूक के लिए एक वर्ष होगी।"

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 21st February, 2022

Amendments to the Guidelines for short-term (i.e. for a period of more than one day to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process.

No. 23/27/2021-R&R.—INTRODUCTION

1.0 In compliance with section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government had notified the "Revised Guidelines for short term (i.e. for a period of more than one day to one year) Procurement of Power by Distribution Licensees through Tariff based bidding process" vide resolution No. 23/25/2011-R&R (Vol-III) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part- I, Section-1) on 30th March, 2016.

2.0 Further, an amendment to the said guidelines was notified on 30th December,2016, wherein the Central Government had inter-alia notified amendments to implement auto extension in the reverse auction process and to bring more clarity in some of the provisions, to be effective from 1st January, 2017.

3.0 The Central Government hereby notifies the following amendments in the said guidelines in order to address the issue of sale of power by Generators in the market without the consent of procurer, to be effective from notification of this amendment.

A new clause is added after Clause 6.4 (vi) (f) of the existing guidelines:-

6.4 (vi) PPA proposed to be entered with the Selected Bidder(s) shall include necessary details on:

g. **Consequences on Sale of Contracted Power toThird Party without consent of the Procurer**

- In case the Seller fails to offer the contracted power as per the Agreement to the Procurer and sells this power without Procurer's consent to any other party, the Procurer shall be entitled to claim damages from the Seller for an amount equal to the higher of :(a) twice the Tariff as per the PPA for the corresponding contracted power; and (b) the entire sale revenue accrued from Third Parties on account of sale of this contracted power. These damages shall be in addition to Liquidated Damages as per Para 6.4 (e) of existing guidelines, for failure to supply the Instructed Capacity.
- On a complaint to this effect by the Procurer to the concerned load dispatch centre, the Seller shall be debarred from participating in power exchanges and also from scheduling of this power in any short term/ medium term / long term contracts from that generating station for a period of three months from the establishment of default, in the complaint. The period of debarment shall increase to six months for second default and shall be one year for each successive default."

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.22 22:32:44 +05'30'